संख्या 21/01/एचडीजी (निविदा दर)/2425/ओएम

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

केंद्रीय संचार ब्यूरो

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दिनांक: 7 नवंबर 2025

परामर्शिका

विषय: केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के अभियानों के लिए श्रेणी-ख आउटडोर मीडिया के अंतर्गत होर्डिंग प्रदर्शित करने हेतु आउटडोर विज्ञापन एजेंसियों के पैनल के लिए बोलियों (बिड्स) का आमंत्रण और बोली-पूर्व (प्री-बिड्स) बैठक की अधिसूचना।

1. केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के प्रचार अभियानों के लिए श्रेणी-ख आउटडोर मीडिया के अंतर्गत होर्डिंग प्रदर्शन सेवाएँ प्रदान करने हेतु आउटडोर विज्ञापन एजेंसियों के पैनल के लिए बोलियाँ (तकनीकी और वित्तीय) आमंत्रित की जाती हैं।

2. उपरोक्त विषय पर दिनांक 07.11.2025 के प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) संख्या 21/01/एचडीजी (निविदा दर)/2425/ओएम संलग्न है और संदर्भ के लिए सीबीसी वेबसाइट (https://cbcindia.gov.in) और सीपीपी पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

3. दिनांक 17.08.2022 और 15.09.2022 कीपरामर्शिकाओं के अनुसार सीबीसी के साथ पहले से ही पैनलबद्ध एजेंसियों को अनुलग्नक-I में केवल उनके नाम के सामने उल्लिखित राज्य (राज्यों)/संघ राज्य क्षेत्र(संघ राज्य क्षेत्रों) के लिए वित्तीय बोलियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। पैनलबद्ध होने की इच्छुक नई एजेंसियाँ आरएफपी में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियाँ प्रस्तुत कर सकती हैं।

4. इच्छुक संस्थाएँ दिनांक 15 दिसंबर 2025 को शाम 6:00 बजे तक अपने प्रत्युत्तर निर्धारित प्रारूप में एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती हैं। निविदाएँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं:

सुश्री अनखा वी, सहायक निदेशक, ओपी

कक्ष संख्या 289, सीबीसी, सूचना भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली -110003

5. आरएफपी पर बोली-पूर्व (प्री-बिड्स) बैठक मुख्य सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 में दिनांक **14 नवंबर 2025** (शुक्रवार) को दोपहर 3:00 बजे आयोजित की जाएगी। यदि कोई प्रश्न हों, तो कृपया उपरोक्त अधिकारी से cbctenderdocx.2025@gmail.con पर संपर्क करें या कार्यालय समय के दौरान 011-24369359/011-24369188 पर टेलीफोन द्वारा संपर्क करें।

6. पहले से पैनलबद्ध होर्डिंग एजेंसियों द्वारा वित्तीय बोली प्रक्रिया में भाग न लेने पर नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उन्हें सीबीसी पैनल से हटाया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनखा वि

(अनखा वि.)

सहायक निदेशक

अनखा. वी / ANAKHA. V
सहायक निदेशक / Assistant Director
केंद्रीय संचार ब्यूरो / Central Bureau of Communication
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / Ministry of Information & Broadcasting
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली-110003 / New Delhi-110003